

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

प्रपत्र - 5

पीठासन अधिकारी श्री समदरसिंह भाटी (आर.ए.एस.)  
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कोर्ट कैम्प बाड़मेर आगोर

प्राथमिक डिक्री

अनवान

वादीगण  
1. केवलाराम 2  
भूराराम पिसरान  
नानजी 3 वरजूदेवी  
पत्नी नानजी 4  
शंकराराम पुत्र नानजी  
जाति मेघवाल  
निवासी बाड़मेर  
आदर्श आगोर  
तहसील व जिला  
बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 अशोक कुमार पुत्र भगाराम 2 किशनलाल पुत्र खेराजराज 3  
कोजाराम पुत्र भगाराम 4 गेमराराम पुत्र हरचन्द्रराम 5 छगनलाल पुत्र  
खेराजराज 6 जसकी पुत्री मोहनराम 7 टिगीदेवी पत्नी खेराजराज 8  
डूंगराराम पुत्र जेताराम 9 देराजराज पुत्र तमाचीराम 10 धुडाराम पुत्र  
हरचन्द्रराम 11 धुडाराम गोदपुत्र बगताराम 12 नरेश पुत्र भगाराम 13  
पपूदेवी पत्नी मोहनलाल 14 पेम्पोदेवी पत्नी भंवराराम 15 प्रवीण पुत्र  
मोहनलाल 16 भंवराराम पुत्र हरचन्द्रराम 17 हेमी पत्नी मंशाराम 18  
मतीदेवी पत्नी तमाचीराम 19 मथरीदेवी पत्नी भगाराम 20 मेदीदेवी  
पत्नी जेताराम 21 माणकाराम पुत्र जेताराम 22 राणी पुत्री मोहनराम  
23 शांति पत्नी मोहनलाल 24 सुखदेव पुत्र मोहनलाल 25 सुरेश  
कुमार पुत्र खेराजराज 26 सोहनलाल पुत्र भगाराम जाति मेघवाल  
निवासी बाड़मेर आदर्श आगोर तहसील व जिला बाड़मेर 27  
तहसीलदार बाड़मेर ।

दावा बाबत 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 01/2023

निर्णय दिनांक :- 28/04/23

28/04/23

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख  
..... को श्री समदरसिंह भाटी, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे  
के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि:-

वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण का दावा प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा बाड़मेर  
आदर्श आगौर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1893 रकबा 4.9372  
हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 01 का 381/12200 हिस्सा, वादी संख्या 02 का 381/12200 हिस्सा, वादी  
संख्या 03 का 191/6100 हिस्सा, वादी संख्या 04 का 381/12200 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का  
127/30500 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 19/3050 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 का 127/30500  
हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 का 763/12200 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 का 19/3050 हिस्सा, प्रतिवादी  
संख्या 06 का 133/12200 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 07 का 77/12200 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 08 का  
1/40 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 09 का 127/6100 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 286/1225 हिस्सा,  
प्रतिवादी संख्या 11 का 53/244 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 127/30500 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या  
13 का 101/12200 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 का 381/6100 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 का  
51/6100 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 का 763/12200 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 का 381/6100  
हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 का 127/6100 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 19 का 127/30500 हिस्सा,  
प्रतिवादी संख्या 20 का 1/40 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 21 का 1/40 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 22 का  
133/12200 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 23 का 67/6100 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 24 का 51/6100  
हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 25 का 19/3050 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 26 का 127/30500 हिस्सा बाई  
मिट्स एण्ड बाउण्ड नियम 18 से 21 की पालना करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित होकर माननीय  
राजस्व गण्डल अजमेर के नवीनतम निर्देशों की पालना करते हुए पक्षकारान के कब्जा काश्त  
अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर  
निर्देश दिये जाते हैं कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक  
माह में उपलब्ध करवाये। कमीश्नर शुल्क रू. 1500/- निर्धारित की जाती है जो वादीगण द्वारा मौके पर  
अदा की जायेगी। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।  
यह आज तारीख 28/04/23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

समदरसिंह भाटी  
(समदरसिंह भाटी)  
पीठासन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर